

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

क्रमांक /120704/2025-T.E.: - इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-29/2015/42/तक.शि., दिनांक 31.01.2020 द्वारा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय अंबिकापुर को उनके दायित्वों एवं संपत्ति सहित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का संघटक महाविद्यालय बनाया गया है। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय अंबिकापुर की आगामी समस्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा संपादित किया जायेगा।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त के अनुक्रम में, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का संघटक महाविद्यालय विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय अंबिकापुर का नाम परिवर्तित कर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर (संघटक महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई) किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
KASHYAP KRISHNA GAUTHAM
Date: 30-10-2025 10:30:19

(के. के. गौतम)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. /120704/2025-T.E

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन।
 2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
 5. महालेखाकार, जीरो पाईट, विधानसभा रोड, रायपुर।
 6. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 7. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, भिलाई, नवई जिला-दुर्ग।
 8. प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर, जिला-अंबिकापुर।
 9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला अंबिकापुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग